आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

12/1/18

आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–13.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी श्री सरयुग तांती, पिता–स्व0 जोधन तांती, ग्राम–उपरामा, पोस्ट– उपरामा, अंचल–रजौन, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 523110120051701495/2A वर्ष–2017 सरयुग तांती बनाम अंचल अधिकारी, रजौन है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, रजौन से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुपालन में पत्रांक–1211 दिनांक–18.11.17 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुनवाई तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित है।

अपीलार्थी द्वारा परिवाद किया गया है कि अपीलार्थी के जमीन के सामने चौपाल बनाकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। फलस्वरूप अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि– मौजा–उपरामा, थाना नं0–574, खाता सं0–348, खेसरा सं0–133 गैरमजरूआ बिहार सरकार किस्म रास्ता के संबंध में अतिक्रमण वाद सं0–09/17–18 का निष्पादन दिनांक–04.10.17 को कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा 10 डी0 जमीन ग्राम–उपरामा में किया गया है। उक्त जमीन पर आवागमन करने में प्रश्नगत रास्ते की जमीन अवरूद्व नहीं है। अपीलकर्त्ता की जमीन से लगभग 06–07 कड़ी दूर प्रश्नगत जमीन पर ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से पंडाल बनाया गया है। अपीलार्थी के अलावे किसी ग्रामीण को उक्त पंडाल से आपत्ति नहीं है और ना ही अपीलकर्त्ता का रास्ता ही अवरूद्व है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन से अपीलार्थी का परिवाद युक्तियुक्त प्रतीत नहीं है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा भी दिनांक–13.10.17 को अंचल अधिकारी, रजौन के प्रतिवेदन के आलोक में विचारोपरांत आदेश पारित किया गया हैं जिससे सहमत होते हुए परिवादी का द्वितीय अपील अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

12.1.18.
जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।